

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :-1060 / 14

संस्थापन दिनांक:-29 / 12 / 14

फाईलिंग नं. 233504004042014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

मुकेश पिता इमरत पवार
उम्र 23 वर्ष, निवासी परसोड़ी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 07.09.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 05.07.2014 को रात करीब 09:00 बजे ग्राम परसोड़ी स्थित उसके घर के पास थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी ओमकार को धारदार कांच की बाटल से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 05.07.2014 को रात करीब 9 बजे गजराज की दुकान से तम्बाकू लेकर घर जा रहा था। वह जैसे ही अभियुक्त के घर के पास पहुंचा तो अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी तथा पुरानी रंजिश पर से उसे कांच की बाटल फोड़कर फेंककर मारा जिससे उसे बांये तरफ सीने के पास चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 506/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक कांच की फूटी शीशी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादी ओमकार की मृत्यु हो जाने के कारण उसे परीक्षित नहीं किया गया है तथा उसकी पत्नी कुसुमबाई का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का

विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.07.2014 को रात करीब 09:00 बजे ग्राम परसोड़ी स्थित उसके घर के पास थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी ओमकार को धारदार कांच की बाटल से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 कुसुम पवार (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त की पहचान करते हुए प्रकट किया है कि घटना ग्राम परसोड़ी स्थित अभियुक्त के घर के पास की है। घटना के समय वह उसके घर पर थी तभी उसे उसके पति ने बताया था कि जब वह तम्बाकू लेकर आ रहा था तो अभियुक्त ने उसके पति के साथ कांच की बाटल से मारपीट की जिससे उसके पति को चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उसने घटना होते नहीं देखी थी तथा उसके पति एवं आरोपी अक्सर साथ में बैठकर शराब पीते थे। साक्षी ने इस बात को भी सही बताया है कि उसे उसके पति ने बताया था कि आरोपी और उसके बीच विवाद हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी प्रकट किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पति को चोट कैसे आयी थी।

7 अभियोजन कथा अनुसार साक्षी कुसुम पवार (अ.सा.-1) अनुश्रुत साक्षी है जिसे घटना की संपूर्ण जानकारी उसके पति ने घर पर आकर दी थी। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके पति के साथ कांच की बाटल से मारपीट की थी परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पति को चोट कैसे आयी थी। इस तरह से उक्त साक्षी मारपीट के तथ्य पर स्थिर नहीं है। साथ ही साक्षी के समक्ष कोई घटना नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी ओमकार को कांच की बाटल से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त मुकेश को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 प्रकरण में जप्त सुदा कांच की फूटी शीशी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)